कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone/Fax 05965-230180 Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 2464 / 12-1 चम्पावत, दिनांक 28-11-2023

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद चम्पावत के अन्तर्गत प्रस्तावित विरमोला–रायल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.3643 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **Meeting Notice of Foutnigihtly Regional Coordination Meeting (FRCM) of 31 July 2023 की बैठक के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या–IRO DDM/FRCM/01/2022/616 दिनांक 02.08.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तावित विरमोला–रायल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.3643 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण में निम्न निर्देश दिये गयेः–

After detailed discussion, it was decided that the concerned DFO along with the project proponent will visit the site and explore the possibility for revising the proposal considering the afternative alignment up to trhe area near point no. 22 in the geo-refernenced map of proposed alignement.

उक्त निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.08.2023 को वन क्षेत्राधिकारी चम्पावत, प्रभागीय सर्वेयर एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता एवं स्टाफ के साथ प्रश्नगत मार्ग निर्माण हेतु वैकल्पिक संरेखण का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि वैकल्पिक संरेखण यद्यपि लम्बाई में छोटा है परन्तु क्षेत्र का ग्रेडिएंट अधिक होने, क्षेत्र की भूमि स्थर न होने के कारण भू–स्खलन की घटनायें समय–समय पर घटित होने के फलस्वरूप कास्तकारों के नाप भूमि पर इसका मलवा लगातार गिरता रहता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त वैकल्पिक संरेखण में साल के अधिक वृक्ष प्रभावित होंगे।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक संरेखण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में दिये गये मूल संरेखण पर ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है। जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 2464 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।